कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 120/2013

दायर दिनांक 02/07/2013
निर्णय दिनांक –19/05/15–

श्री जवाहरलाल पिता गणपतलालजी दवे जाति ब्रहमण उम्र 60 वर्ष निवासी ओबरी तहसील सागवाडा डूंगरपुर राजस्थान ।

–वादी–

बनाम

1.श्री बादरसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी ओबरी ।
2.भैरवसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी ओबरी ।
3.श्रीमती पदमकुवंर बेवा नाथुसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी ओबरी।
4.श्री धुलसिंह पिता मावसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी ओबरी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ,राजस्थान ।
5.लैण्डहोल्डर तहसीलदार ,तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

–प्रतिवादी–

दावा बाबत खातेदार धोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने
अर्न्तगत धारा 88,118,सपठित धारा 209 राज. टिनेन्सी एक्ट

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री जवाहरलाल पिता गणपतलाल दवे द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 गांव ओबरी के निवासी है वादी ने दिनांक 25.08.1977 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के पिता ,प्रतिवादीया संख्या 3 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 4 के भाई स्व.नाथुसिंह पिता मावसिंह राजपुत से उसके स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा ओबरी के खसरा नम्बर 1374 की रकबा 10 बिस्वा जमीन रू 950/–नौ सौ पचास रू में जरिये विकय पत्र दिनांक 25.08.1977 के कय कर इसके पंजीयन की रजिस्ट्री उपपंजीयक कार्यालय सागवाडा में कराई ।

Scanned by CamScanner

तभी से उक्त आराजी पर वादी का निरन्तर बिना किसी रूकावट के शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादी के हक में विक्रय पत्र निष्पादन के समय स्व.नाथुसिंह ने उसे उक्त जमीन का कब्जा सुपुर्द कर दिया था लेकिन गलती से राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम नामान्तकरण खोलना रह गया । वादी इस भ्रम में था कि उसके हक में दस्तावेज पंजीकरण के बाद उसके नाम नामान्तकरण खोल दिया गया होगा । मौजा ओबरी की उक्त आराजी गलती से वादी के खाते में दर्ज नही हुई । श्री नाथुसिंह का स्वर्गवास हो गया एवं उसके बाद उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर ली गई जबकि वास्तव में इसे वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। वादग्रस्त उक्त भूमि स्व. नाथूसिंह के हिस्से में आई थी लेकिन उनकी सम्पूर्ण जमीन का खाता अपने भाई धुलसिंह के साथ शामलात चले आने से उक्त भूमि में भी धुलसिंह का नाम दर्ज चला आ रहा है।

वादी को अभी अपने स्वामित्व की उक्त जमीन पर ऋण लेना था इस हेतु वह पटवारी साहब से इस खाते की नकल लेने गया तब उसे दिनांक 11.01.2013 को पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं है। इसके बाद दिनांक 13.01.2013 को जब वादी उक्त भूमि पर गया तो वादी के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने विवाद कर लडाई–झगडा कर वादी के उक्त भूमि पर जाने में रूकावट की ।

वादी के उक्त भूमि पर जाने में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा रूकावट करने से एवं उसके साथ लडाई–झगडा करने से वादी उनके विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि वे उक्त आराजी पर वादी के आवगमण में एवं वादी को इसके उपयोग एवं उपभोग करने में कोई रूकावट नहीं करें। वादी ने प्रतिवादीगण से इस उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने इससे इंकार कर दिया । जिससे वाद प्रस्तुत करने की नौबत आई है।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने से दिनांक 01.12.2014 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में तनकी कायमी न की जाकर प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया ।

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से साक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रयनामा जो प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता व 3 के पति श्री नाथुसिंह पिता मावसिंह एवं वादी के मध्य दिनांक 25.08.1977 को सम्पादित हुआ कि मुल प्रति (EX-1) ,जमाबंदी सवत् 2067 जिसमें खसंरा नं 1374 रकबा 10 बीसवा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 1/2,तथा प्रतिवादी संख्या 4 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है (EX-2), प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने से वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निर्णय निम्नानुसार है –

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही ग्राम ओबरी के निवासी है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयनामा दिनांक 25.08.1977 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसंरा नम्बर 1374 रकबा 10 बिस्वा रू 950/– में वादी श्री जवाहरलाल पिता गणपतलाल दवे द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता 3 के पति एवं 4 के भाई से विक्रय किया है। जमाबन्दी सवंत् 2067 गांव ओबरी में खसंरा नम्बर 1374 रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4 के 1/2 हिस्से में दर्ज है । रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा खसंरा नम्बर 1374 रकबा 10 बिस्वा क्रय किया गया था परन्तु नामान्तरण न होने से वादी के नाम दर्ज नहीं हो सका । पत्रावली से स्पष्ट है कि विक्रयनामा प्र.सं 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति स्व. नाथुसिंह पिता मावसिंह के एवं वादी के मध्य ही हुआ है अतः विक्रयनामा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 पर ही लागू होता है। स्व.नाथूसिंह के भाई को विक्रयनामा के आधार पर पैतृक सम्पति से वंचित नही किया सकता है क्योंकि विक्रयनामा में प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार नहीं है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा ओबरी के खाता संख्या 502 के खसंरा नम्बर 1374 रकबा 10बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के 1/2 हिस्से 5 बिस्वा का वादी को विक्रयनामे के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner